

चाईल्ड बजट वर्ष 2021-22

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

क	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	राशि हजार ₹ में अनुमानित लाभार्थी (0 से 18 वर्ष)
1.	नोनी सुरक्षा योजना	प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजनांतर्गत प्रति बालिका 05 वर्ष तक लगातार 5000 के मान से राशि विनियोजित किया जाता है। बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्वता राशि 1,00,000 रु. देय होती है।	251539	लाभान्वित बच्चों की संख्या-28000
2.	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (सबला) अन्तर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि ।	71578	लाभान्वित बच्चों की संख्या-18000
3.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त मानदेय के लिए यह बजट प्रावधान है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों के होलिस्टिक डेवेलपमेन्ट के लिए योजना संचालित की जा रही है।	1831500	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है ।
4.	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक	आंगनबाड़ी केन्द्रों में ईसीसीई पाठ्यक्रम को लागू करना तथा संसाधन युक्त बनाना	195010	लाभान्वित बच्चों की संख्या-900000
5.	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	योजनांतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना व्यय एवं योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन। 0-6 वर्ष आयु के बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार तथा 03-06 वर्ष तक बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाना।	7798343	लाभान्वित बच्चों की संख्या-2600000
6.	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	(अ) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना	7198886	लाभान्वित बच्चों की संख्या-18000

चाईल्ड बजट वर्ष 2021-22

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

क	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	राशि हजार ₹ में अनुमानित लाभार्थी (0 से 18 वर्ष)
		(ब) कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कार्यकर्ता, सहायिका एवं अमले को प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरण का प्रदाय		
7.	राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर	कामकाजी महिलाओं के 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना	50000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-32500
8.	फुलवारी योजना	आंगनबाड़ी विहीन बसाहटों में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के समान सुविधा उपलब्ध कराना।	20000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-32500
9.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के संचालन हेतु।	471821	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है ।
10.	एकीकृत बाल संरक्षण योजनांतर्गत शासकीय बालगृह	किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए निरूद्ध किये गये बच्चे तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ उनके विकास व संरक्षण के लिए बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।	209959	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है ।
11.	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अनुदान प्रदाय किया जाना।	17500	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है ।
12.	किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भवन निर्माण (कार्यालयीन भवन एवं लघु निर्माण कार्य मद में भवन निर्माण)	किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं, बालक कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के भवनो के लिए लगाने वाली आधिक्य राशि/सुधार/मरम्मत/अतिरिक्त निर्माण हेतु।	30000	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है ।

चाईल्ड बजट वर्ष 2021-22

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

क	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	राशि हजार ₹ में अनुमानित लाभार्थी (0 से 18 वर्ष)
13.	किशोर न्याय निधि अंतर्गत सहायक अनुदान	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 105 एवं नियम 2016 के नियम 83 अनुसार इस अधिनियम एवं नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सृजित किशोर न्याय निधि हेतु।	5000	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है ।
14.	आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण	इस योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, उन्नयन व सुधार हेतु	390000	योजना से बच्चों को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त
15.	राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार/राज्य वीरता पुरूस्कार से सम्मानित बालक/बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका छात्रवृत्ति नियम, 2003 के तहत प्रदान की जाती है । यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदान की जाती है/ पुरस्कार प्राप्त बालक/बालिका को स्कूल शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर) के दौरान 500/- प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर)/शोधकार्य (पी.एच.डी.) के दौरान रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग/तकनीकी शिक्षा में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये भी 1500/- रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। इस छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की आय का कोई बंधन नहीं होता है। यह छात्रवृत्ति बालक/बालिका को प्राप्त होने वाली अन्य मैरिट छात्रवृत्ति अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।	318	20 बच्चे

चाईल्ड बजट वर्ष 2021-22

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, महिला एवं बाल विकास

क	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2021-22	राशि हजार ₹ में अनुमानित लाभार्थी (0 से 18 वर्ष)
16.	राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार	<p>इस योजना अंतर्गत वीर, साहसी बालक/बालिकाओं को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, शौर्य एवं बुद्धिमता के संदर्भ में उनके साहसिक कार्य/कृत्य के लिए पुरस्तेत करना है जो अन्य के लिए उदाहरण एवं प्रेरणास्रोत बन सके। यह कृत्य किसी की जीवन रक्षा अथवा उसको शारीरिक क्षति से बचाने के उद्देश्य से निःस्वार्थ सेवा से संबंधित होना चाहिए।</p> <p>पुरस्कार अन्तर्गत प्रति बालक/बालिका को एक मुश्त 10 हजार रूपये की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष अधिकतम 5 बालक/बालिकाओ को परस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत बालक/बालिकाओं को 'राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका छात्रवृत्ति नियम 2003' के अनुरूप छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है</p>	300	5 बच्चे
17.	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	<p>प्रदेश के 0-5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना। अभियान अंतर्गत गर्म भोजन एवं अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अण्डा, चिकी, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एनीमिक बच्चे एवं महिलाओं के आई.एफ.ए. अथवा सिरपे मि नाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएँ दी जा रही है।</p>	600000	लाभान्वित बच्चों की संख्या-300000